न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 144/2020 ग्रा.प्र. (2020/00253)

आदेश

सरकार बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ (प्रार्थी)

बनाम

1. सो.2 मदन रतन पिता मोहन मील निवासी नलासिया — अप्रार्थी पार्टी नं. 1

1. श्रीमती लाचरी पत्नी श्रीराम कंजर निवासी देवड़ूगरी
2. श्री रामचन्द्र पिता जमनिया कंजर निवासी देवड़ूगरी
3. श्रीमती रजामू पत्नी रामचन्द्र कंजर निवासी देवड़ूगरी

— अप्रार्थी पार्टी नं. 2

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.ए.

उपस्थिति : 1 पेशकार सरकार तहसीलदार चित्तौड़गढ़
2 श्री पुष्पाचन्द्र आमी अधिवक्ता अप्रार्थी पार्टी नं. 2

निर्णय दिनांक 31/3/2022

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने निम्न विभागीय अन्वेषण धारा 175 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नलासिया पर्ण विजयपुर आराजी नं. 22 रकबा 0.44 है. आराजी नम्बर 36 रकबा 0.40 है. अप्रार्थी पार्टी नं. 1 यानि कि श्री मदन [illegible] के नाम खातेदारी हक से दर्ज रकबे है। [illegible] ने उक्त आराजीयात [illegible] रामचन्द्र पिता जमनी[illegible] देवड़ूगरी को [illegible]

...लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनारजीलाई विक्रय पत्र दिनांक 23/6/91 विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया शीराम कंजर फौत हो जाने से उसकी पत्नी को एकमुश्त बताया 1/20।

ग्राम जवासिया स्थित आराजी नं. 22 रकबा 0.45 है. आराजी नं. 36 रकबा 0.40 है. भूमि राजस्व रेकार्ड में पक्षकार अप्रार्थी पार्टी नं. 1 मदन रतन पिता मोहन भील के खातेदारी में दर्ज है। भील जाति - अनुसूचित जन - जाति वर्ग में आती है। इस पक्षकार अप्रार्थी पार्टी नं. 2 जाति से कंजर होकर कंजर जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अनुसूचित जन जाति वर्ग की भूमि अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा क्रय करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(2ब) का उल्लंघन बताता है। भूमि के उक्त हस्तान्तरण की जानकारी पुलिस व भू.प्र.नि. विजयपुर द्वारा दिनांक 15/5/2020 को मौका जांच पर दिनांक 17/6/2020 को प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर हुई, जिसके जानकारी रिकार्ड से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया। अन्त में अप्रार्थी पार्टी नं. 1 जाति से भील होकर इनकी खातेदारी की ग्राम जवासिया स्थित आ.नं. 22 रकबा 0.45 है. आराजी नम्बर 36 रकबा 0.40 है. अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के द्वारा अप्रार्थी पार्टी नं. 2 कंजर जाति को विक्रय कर हस्तान्तरण किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(2ब) के अनुसार अवैध्य हस्तान्तरण है होने से उक्त भूमि से अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 को बेदखल कर भूमि कब्जे सरकार दिलाई जाने बाबत निवेदन किया।

पूकाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जारिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता नगेन्द्रसिंह [illegible] पार्टी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता [illegible] उपस्थित हुए। अप्रार्थी पार्टी नं. 2 उपस्थित रहने से दिनांक 16/12/202[illegible] अनुपस्थित रहने एक पक्षीय कार्यवाही ---- मगतार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के आदेश दिए गए। अपनी पारी संख्या 2 की ओर से जवाब अर्थना पत्र सहमति का प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में गवाह श्यामलाल पिता नोनालाल मीणा भू-प्र. निरीक्षक बिजयपुर एवं दिलीप कुमार पिता तुलसीराम बावरा पटवारी बिजयपुर के बयान का दस्तावेज पंचनामा प्रदर्श 1, रिपोर्ट प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 एवं नक्शा इंज प्रदर्श 5 प्रस्तुत प्रदर्शित कराये गए। अपनी पारी संख्या 2 की ओर से गवाह श्रीमती सायरी पत्नी शीराम कंजर एवं रामचन्द्र पिता जमनिया कंजर ने बयान के शपथ प्रस्तुत किए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन का पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पंचनामा प्रदर्श 1 जिस पर A to B भू प्र निरीक्षक एवं C to D पटवार बिजयपुर के दस्तखत है, जिसके अनुसार विवादित आराजीयात मरुम रतन पिता मोहन भील के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर उक्त भूमि पर श्यामू पत्नी रामचन्द्र कंजर तथा सायरी पत्नी शीराम कंजर निवासीगण देवड़ाणी का कब्जा होना तथा 5 रुपए के स्टाम्प पर दिनांक 23.6.91 को खातेदार मरुम रतन पिता मोहन भील ने शीराम रामचन्द्र पिता जमनिया कंजर निवासी देवड़ाणी को बेचना बताया। प्रदर्श 3 से उक्त भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की होना प्रमाणित है प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित कराने में सामग्र [illegible] अनुसूचित जन-जाति [illegible] जाति के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार भूमि विक्रय कर हस्तान्तरित करके एवं कब्जा सुपुर्द करके ये शासकीय कार्यवाही अधिनियम 1955 की धारा 42 (अ) का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 और टी.ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम जवालिया स्थित आराजी नाका 22 रकबा 0.44 हे., आराजी नम्बर 36 रकबा 0.40 हे. भूमि को विलाग्राम सरकार दर्ज किए जाने एवं कब्जे सरकार लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार बस्सी उक्त भूमि को कब्जे सरकार लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय की प्रति पालना की तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे।

किरीम लिखवाया जाकर सुने समझाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested